



“Now, you are my prisoner”

From within the hut, Ritter heard the distinctive, heart-stopping, click-clack/clack-click of the rifle bolt, a round was now in the chamber...

From a Robbed Teen to a Global Dosa Empire

A Rare Spring Festival of the Aryan Valley

कांग्रेस को 28 एमएलसी सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली

सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा कर्नाटक से मिला, जहाँ कांग्रेस की सरकार है। यहाँ सभी चार सीटें भाजपा-जद (एस) गठबंधन को मिलीं

–रेणु मिश्र–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। कांग्रेस को करारा झटका लगा है। चार बड़े राज्यों में मैम्बर ऑफ लैजिस्लेटिव काउन्सिल (एमएलसी) की 28 सीटों पर हुए उपचुनावों में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। इन 28 सीटों में कांग्रेस ने 12 पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से चार सीटें पहले उसके पास थीं।

सबसे चौंकाने वाला नतीजा कांग्रेस शासित कर्नाटक में आया, जहां पार्टी चारों सीटें भाजपा-जद (एस) गठबंधन से हार गई। इस नतीजे से कांग्रेस सकते में है।

बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का प्रदर्शन ऐसा ही रहा। इन राज्यों में भी कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल सकी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक

■ कांग्रेस ने 28 में से 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इनमें से चार उसके पास पहले से थीं।

■ पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने चिंता जताते हुए कहा, बाकी नेता व संगठन आखिर क्या कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी अकेले पार्टी को जिता सकते हैं।

■ कांग्रेस की इस हार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष किया कि इन सीटों के चुनाव तो बैलट पेपर से कराए गए थे, फिर ऐसा नतीजा क्यों आया?

पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि इन सीटों के चुनाव मतपत्रों से कराए गए थे, फिर ऐसा नतीजा क्यों आया?

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार मांग करते रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव मतपत्रों के जरिए कराए जाएं और

ईवीएम का इस्तेमाल बंद किया जाए। कांग्रेस चीफ इलैक्शन कमिश्नर (सीईसी), निर्वाचन आयोग और कथित “वोट चोरी” के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी इस अभियान में आगे रहकर सड़कों पर मोर्चा संभाल रहे हैं। पार्टी ने “वोट चोरी”

के मुद्दे पर 1 नवंबर को रामलीला मैदान में महारैली आयोजित करने की भी घोषणा की है। हालांकि, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, ऐसे नतीजे न केवल नेतृत्व का मनोबल गिराते हैं, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करते हैं कि पार्टी के बाकी नेता और संगठन आखिर कर क्या रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी अकेले ही पार्टी में नई ऊर्जा भर सकते हैं और उसका मनोबल बढ़ा सकते हैं?

लगातार मिल रही हार के बीच भाजपा का कांग्रेस पर तंज करना स्वाभाविक है। लेकिन राहुल गांधी अकेले कांग्रेस के सामने खड़ी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते। पार्टी को अपनी व्यापक संगठनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए भी प्रयास करने होंगे।

केन्द्र दिल्ली में एक के बाद एक खेल सुविधाओं की जमीन अधिग्रहित कर रहा है

नवीनतम खबरों के अनुसार, प्र.मंत्री आवास के समीप स्थित एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स को अगले नोटिस तक बंद कर दिया गया है

–जाल खंबाता–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। खबरों के अनुसार, लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के पास स्थित एयर फोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।

ज्ञातव्य है कि केन्द्र सरकार ने कुछ सप्ताह पहले गोल्फ कोर्स के लिए इस्तेमाल की जा रही जमीन वापस मांगी थी। इसके कारण भारतीय वायुसेना के निवर्तमान प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह के विदाई समारोह के तहत होने वाले गोल्फ कार्यक्रम को भी रद्द करना पड़ा है।

रेस कोर्स वायुसेना स्टेशन के परिसर में स्थित इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल वायुसेना में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी करते हैं। यहां

- केन्द्र सरकार ने इससे पहले गॉल्फ कोर्स के रूप में इस्तेमाल हो रही जमीन वापस मांगी थी और इस वजह से एयरफोर्स चीफ मार्शल एपी सिंह के विदाई समारोह के रूप में हो रहा गॉल्फ मैच रद्द करना पड़ा था।
- एयर फोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स में गॉल्फ कोर्स के अलावा स्विमिंग पूल व डाइनिंग सुविधा भी हैं।
- अगस्त में सरकार ने दिल्ली रेस क्लब की 53 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली थी।
- जयपुर पोलो ग्राउंड से इंडियन पोलो एसोसिएशन को भी निकाल दिया गया था और दिल्ली जिम खाना क्लब से भी विवाद चल रहा है।

गोल्फ कोर्स के अलावा, स्विमिंग पूल और भोजन की सुविधाएं भी हैं। मंगलवार को इसके सदस्यों को सूचित

किया गया कि 28 अक्टूबर को सुबह पांच बजे से परिसर में प्रवेश बंद कर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आसाराम के खिलाफ फरारी का केस दर्ज

जोधपुर, 28 अक्टूबर (कासे)। मंगलवार को पैरोल अवधि बढ़ाने के लिए दायर सुप्रीम कोर्ट में अपील के निरस्त होने के बाद देर रात जोधपुर पहुंचे आसाराम बापू एक बार फिर नए संकट में फंस गए हैं। समय पर जेल नहीं पहुंचने पर जेल प्रहरी बनवारीलाल की

- नियत समय पर जेल नहीं पहुंचने पर कारागार अधिनियम के तहत कार्यवाही हुई।

तरफ से 58 ख कारागार अधिनियम के तहत रातानाडा पुलिस थाने में उनके खिलाफ फरारी का केस दर्ज करा दिया गया।

नियम के तहत मंगलवार शाम तक आसाराम को जोधपुर की सेंट्रल जेल पहुंचना जरूरी था, मगर वह देर रात यहाँ पहुंचा तो उसे जेल नियमों के तहत प्रवेश नहीं दिया गया। रातानाडा थाने के एएसआई भवानी सिंह को तफतीश सौंपी गई है।

कारागार अधिनियम 58 ख के तहत बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें 3 वर्ष तक की सजा व 3000 रुपए के आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। ऐसे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्पेन में दो ट्रेन टकराई, 64 लोगों की मौत

मैड्रिड, 28 अक्टूबर। स्पेन के टोलेडो प्रांत में दो ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सरकार के कास्तिया-ला मांचा प्रशासन के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने आशंका जताई कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

स्पेनिश मीडिया के मुताबिक, हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह 9

- प्रशासन ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

बजे मोरा और ओरगांग कस्बों के बीच हुआ। एक ट्रेन धीमी गति से चल रही थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी ट्रेन उससे टकरा गई।

टक्कर इतनी तेज थी कि कई डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद राजधानी मैड्रिड को दक्षिणी अंदालूसिया क्षेत्र से जोड़ने वाली रेल लाइन बंद कर दी गई।

हादसे के बाद यूरोप के कई देशों के नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए पड़ितों और उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुईस मोटेनेग्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लैयेन, इटली के विदेश मंत्री एंतेोनियो तजानी ने दुर्घटना पर गहरी चिंता जताई। ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम सहित, कई अन्य देशों ने भी शोक संदेश भेजे।

‘सुप्रीम कोर्ट मकान खरीदने वालों की शिकायत दर्ज कराने का माध्यम नहीं है’

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना ने कहा कि ऐसे मामलों की वजह से डैवलपर्स एवं वित्तीय संस्थानों की गड़बड़ियों से जुड़े कानूनी मुद्दों के मामले लटक जाते हैं

- जाल खंबाता–
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
- नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं के घर खरीदने वालों द्वारा दायर की जा रही याचिकाओं की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हर उस हार्डसिंग परियोजना के लिए पक नहीं बन सकता, जो किसी समस्या में फंसी हो। ऐसे घर मामले को शीघ्र अदालत में लाने से उन मामलों की सुनवाई में देरी हो सकती है, जो पहले से लंबित हैं और जिनमें बिलडरों तथा वित्तीय संस्थानों की अनियमितताओं से जुड़े कानूनी मुद्दों पर विचार किया जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों से कहा, “हमने कभी नहीं सोचा था कि लोग हर दिन अंतरिम आवेदन, विविध आवेदन और अदालत की अवमानना से जुड़ी

- सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा, हमने भी नहीं सोचा था कि लोग हर दिन आवेदन, अंतरिम आवेदन व अदालत की अवमानना याचिकाएं ही दाखिल करते रहेंगे, हम मुख्य मामले का फैसला करने के बजाय उलझ कर रह जाते हैं, बेहतर हैं, घर खरीदने वाले इंतज़ार करें।

याचिकाएं दाखिल करते रहेंगे और हम मुख्य मामले का फैसला किए बिना ही उलझ कर रह जाएंगे। बेहतर होगा कि आप इंतजार करें।”

अदालत ने कहा कि उसके सामने लंबित मामले में अंतिम फैसला सुनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी तरह की शिकायतों वाले घर-खरीदारों को कानूनी पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।

पीठ ने आगे कहा कि शीघ्र अदालत का फैसला आने के बाद उच्च न्यायालय व्यक्तिगत शिकायतों पर फैसला करते समय उससे मार्गदर्शन ले सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “एक बार जब यह अदालत अपना रुख

अपना लेती है तो उच्च न्यायालय उससे अलग फैसला नहीं दे सकते।”

यह पीठ रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं से जुड़ी ट्रान्सफर याचिकाओं (मामलों की द्वांसंतरित करने की अर्जियाँ) पर सुनवाई कर रही थी। वकीलों ने दलील दी कि इन परियोजनाओं को बीच में ही छोड़ दिया गया है और कुछ उच्च न्यायालय इनसे जुड़े विवादों पर पहले ही फैसले सुना चुके हैं। इसी वजह से संबंधित पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

तथापि, अदालत ने संकेत दिया कि वह इस चरण में ट्रान्सफर याचिकाओं पर विचार नहीं करेगी, क्योंकि मुख्य मामले में आने वाला फैसला उन

अवसरों पर चर्चा और एप्टीन के एक सहयोगी को वीजा दिलाने में मदद करने का मामला भी शामिल है। पुरी ने एप्टीन से तीन या चार मुलाकात होने की बात स्वीकार की है, लेकिन एप्टीन के अपराधों की जानकारी होने या उनमें लिप्त होने से इनकार किया है। उन्होंने इन मुलाकातों को प्रोफेशनल तथा कामकाज से जुड़ा बताया है। इसके अलावा, उनकी बेटी हिमायनी पुरी पर एप्टीन और उससे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिद्धांतों को स्पष्ट करेगा, जिनके आधार पर दूसरे न्यायालय इसी तरह के विवादों का निपटारा कर सकेंगे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “हम इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि मुख्य मामला अंतिम फैसले के लिए तैयार है। इस अदालत की ओर से जो भी सिद्धांत तय किए जाएंगे, उनके अनुसार उच्च न्यायालय लंबित मामलों पर फैसला करेंगे।”

सुनवाई के दौरान वकीलों ने बताया कि संबंधित परियोजनाएं पहले से ही अदालत द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी, यानी न्याय मित्र के पास हैं, जो रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं से जुड़ी शिकायतों की जांच कर रहे हैं। वकीलों ने केन्द्रीय जॉच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से की जा रही कार्रवाई का भी उल्लेख किया।

तथापि, न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि मौजूदा कार्यवाही का दायरा इतना नहीं बढ़ाया जा सकता कि इसमें देश की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्र सरकार ने डीए बढ़ाया

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। केन्द्र के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को दिवाली को तोहफा मिला है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत का इजाफा किया है। वृद्धि इस साल की 01 जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने

- केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के डीए व डीआर में 3 प्रतिशत वृद्धि की।

आज इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

CMYK

⊕

CMYK

⊕

CMYK

⊕

CMYK